

6/23
 वक्तुलार् फरीकेन उप। पीठासीन अधिकारी 27/1/23
 में उत्तर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27.1.23
 को पेश हो।

27/23
 वक्तुलार् फरीकेन उप। पीठासीन अधिकारी 17.2.23
 में उत्तर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.2.23
 को पेश हो।

17/4/23
 वक्तुलार् फरीकेन उप। पीठासीन अधिकारी 18/4/23
 में उत्तर है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/4/23
 को पेश हो।

06/2023

पत्रावली कैंप हरिपुरा में पेश हुई। प्रार्थिना परमजीत
 कोर पत्नी अंग्रेज सिंह जाति कुम्हार ने चक्र 2-STP
 के प.न. 185/120 मु.न. 31 के कि.न. 3, 8 में 1-1
 बिश्वा रास्ता एवं कि.न. 13 में 0.001 हेक्टेयर भूमि
 रास्ते के रूप में लेने के लिए धारा 25A RTA में
 आवेदन किया। प्रार्थिना ने स्थिति को देखते
 को आत्यंतिक आवश्यकता के मध्यनजर व वैकल्पिक
 रास्ते के अभाव को सिद्ध करते हुए रास्ते की जरूरत
 बतानी प्रार्थिना का एक हिस्सा 0.843 हेक्टेयर (जोत
 का 1/3 हिस्सा) है। अप्रार्थी हरदम सिंह, रोधा सिंह
 मेंके पर मौजूद है तथा मांगे गये रास्ते बाबत अपनी
 सहमति प्रकट की है। अन्य अप्रार्थी कुलदीपकोर ने
 मखन सिंह को एवं तल्पध्वार मखन सिंह द्वारा रमेश
 बिश्वाइ को बचान करना बतलाया गया। रमेश बिश्वाइ
 द्वारा रमेश सिंह कुम्हार को बचान करना (रास्ते की हद
 तक शत प्रकण के लक्षण में) व शेष सतोष पत्नी
 रामकृष्ण जाति कुम्हार को बचान करना बताया। तहसीलदार
 रंगरिथा की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2019 पत्रावली में
 संलग्न है। जिसमें रास्ता पुराना चलता हुआ प्रकट किया
 है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज व एक हिस्से के
 विश्लेषण उपरान्त प्रार्थना पर अनुत्तर प्रार्थना-पत्र को
 स्वीकार किया जाता है तथा चक्र 2-STP के प.न.
 185/120 के कि.न. 3, 8 में 01-01 बिश्वा व
 31.31 कि.न. 13 में 0.001 हेक्टेयर गैर मुमकिन
 रास्ता स्वीकार किया जाता है। मुझावजा अप्रार्थिगण
 को देय नहीं होगा। तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में
 मुताबिक शत अंशिका के एवं चित्रित नक्शे के
 अनुसार अमल दरामद की कार्रवाही करे।



N
↑

	3		
	8		
	13		

185
120
31

परमजीत
 Haridwar

11/6/23
 प्रशासन गांवों के संग अभियान
 शिक्षा विभाग (SDO)